उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–18008909715 (टोल फ्री)

कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

E-mail: cfbhagirathi-forest-uk@nic.in Phone & Fax no. 0135-2431159

पत्रांक सं0: 496 /26–1 दिनांक 09 / 09 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में दिनांक 13.08.2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ0आर0सी0एम0) का कार्यवृत्त के एजेण्डा आईटम नं0–06 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग से प्राप्त आख्या संबंधी।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का फाइल संख्या–IRO-DDN/FRCM/01/2022/654, दिनांक 22.08.2024 ।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत कार्यवृत्त के एजेण्डा आईटम नं0–06 में उल्लिखित मोटर मार्ग "फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग" के संबंध में मांगी गयी तथ्यपरक यथार्थ आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक–622/12–1 दिनांक 07.09.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 11.03.2016 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण/पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.9475 हे0 श्रेणी 9(3)(ड़)–कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, 10(1) जलमग्न भूमि एवं 10(4) रौली भूमि जो, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि ही है एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.027 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.3555 है0 समान श्रेणी की 9(3)(ड़)–भूमि कुल 3.33 है0 को चयनित करते हुये, उप खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की सहमति/रिपोर्ट दी गयी (संलग्नक–01, 02 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट)।

   उल्लेखनीय है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग अन्तर्गत प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र प्रस्तावित नही था तथा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सर्वे, सीमांकन एवं समरेखण का चयन वर्ष 2016 में ही पूर्ण किया जा चुका था।

2. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1385/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 18.11.2016 से "जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ–क्यारा मोटर के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय को उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–03)।
3. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ ही प्रश्नगत मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाइल, मानचित्र तैयार कर

अपने पत्रांक–1385/पी0–सिं0ख0–2/दिनांक 18.11.2016 से संलग्न कर प्रेषित की गयी थी (संलग्नक–04)।

4. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के भाग–01 में आवश्यक प्रविष्ठियां भरने के उपरान्त प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय को अपने पत्रांक–155/पी0–सिं0ख0–2/दिनांक 05.02.2019 से अग्रेत्तर कार्यवाही (परिवेश पोर्टल के भाग–02 की सूचना भरने हेतु) उपलब्ध कराया गया। (संलग्नक–05)

5. तद्उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय के पत्रांक संख्या–2465/12–1, दिनांक 11.03.2019 से प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी (संलग्नक–06)।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0/1520, दिनांक 09.10.2020 (संलग्नक–07) से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय के पत्रांक संख्या–1429/12–1, दिनांक 23.11.2020 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित किया गया था (संलग्नक–08)।

7. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–139/पी0–सिं0ख0–2, दिनांक 04.02.2021 (संलग्नक–09) से प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय में पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक संख्या–2277/12–1, दिनांक 08.02.2021 (संलग्नक–10) से प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया गया कि आप सर्वप्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये, तत्पश्चात ही आपको प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जानी संभव हो पायेगी तथा पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अपने पत्रांक–3068/12–1 दिनांक 30.03.2021 (संलग्नक–11) से प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारक पत्र लिखकर सूचित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती कार्यालय द्वारा तत्समय पूर्ण नियमों के पालन करने के संबंध में प्रयोक्ता एंजेसी को बार–बार सूचित किया जाता रहा है **तथा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से आतिथि तक भी प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु वृक्षों के छपान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है, अपितु नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्यवाही की गई है।**

8. जहां तक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह दिसम्बर–2020 में पूर्ण होना बताया गया है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु मसूरी वन प्रभाग के क्षेत्र के सिल्ला ब्लॉक कक्ष संख्या–06 में है जिसका क्षेत्रफल 0.027 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.3555 है0 श्रेणी की 9(3)(ड़) की भूमि है, उक्त भूमि में मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही मसूरी वन प्रभाग द्वारा की जानी थी।

9. नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रारम्भिक बिन्दु नापभूमि जिसका क्षेत्रफल 3.150 है0 प्रस्ताव में दर्शाया है, में मोटर मार्ग का कटान कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें वन विभाग स्तर से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। तथा तदोपरान्त मोटर मार्ग में 2.9475 है0, श्रेणी 9(3)ड़–की कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, 10(1) की जलमग्न भूमि एवं 10(4) की रौली भूमि है, जो उत्तराखण्ड सरकार के राजस्व विभाग के स्वामित्व की भूमि है, जो वन भूमि नही है। (जिलाधिकारी, टि0ग0 द्वारा श्रेणी सूची संलग्नक–12) एवं इस क्रम में तत्समय तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच रिपोर्ट (संलग्नक–13) में स्पष्ट उल्लेख है कि "संयुक्त

निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्द कोष के अनुसार वन नही है। सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नही है।

"उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–4452 ऑफ 2019 में दिनांक 24.10.2019 में पारित अन्तिम निर्णय के पैरा संख्या–14 में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि *The observation in the report dated 07-01-2019 is to the effect that the land in Khasra No. 605 was not considered as deemed forest by the Forest Department in the report filed in Godavarman's case. There is no evidence of blasting operations. There is also no sign of any fresh felling of trees and finally it was concluded that the land in Khasra No. 605 cannot qualify as deemed forest. There is a reference in the report to the Judgment of this Court in Godavarman's case wherein it was held that the Forest Conservation Act would be applicable to all lands recorded as forest in the revenue records. The provision of the Forest Conservation Act are not applicable to Khasra No. 605. We are in agreement with the findings recorded by the Tribunal of the Forest Conservation Act is not applicable.* उक्त निर्णय अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज बंजर भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होते है। इस प्रकार से प्रश्नगत भूमि वन भूमि से इतर होने के कारण यदि कोई अपेक्षित कार्यवाही होनी है तो वह राजस्व विभाग के स्तर की जानी थी। (संलग्नक–14)

10. प्रश्नगत मोटर के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की गणना/पातन के संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–05 में स्पष्ट किया गया है कि **"प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 10 वृक्ष एवं नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती में 03 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।"** उक्त शर्त की अनुपालन अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रश्नगत मोटर में मात्र 03 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना राजि द्वारा अपने पत्रांक–158/12–1, दिनांक 03.09.2024 से अवगत कराया गया है कि उक्त 03 वृक्षों का पातन आतिथि तक नही हुआ है, जो वर्तमान में मौका स्थल पर ही खड़े हुए है, (संलग्नक–15 व 16 प्रमाण पत्र व वृक्षों की फोटोग्राफ्स)। ऐसा इसलिए हुआ है क्योकि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर स्तर से पेड़ो के कटान की अनुमति प्राप्त नहीं हुई जिस कारण से वर्तमान समरेखण का कटिंग कार्य प्रस्तावित वृक्षों को बचाते हुए किया गया है, जिस कारण वर्तमान में समरेखण में ही वृक्ष विद्यमान है।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण माह दिसम्बर 2020 में पूर्ण होना बताया गया है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त प्रश्नगत मोटर मार्ग के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को **प्रभागीय कार्यालय स्तर से आतिथि तक प्रारम्भिक कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की गयी हैं।** प्रकरण के परीक्षण करने पर संज्ञान में आया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोरोनाकाल की अवधि माह– मार्च 2020 से प्रथम चरण एवं माह अप्रैल 2021 से द्वितीय चरण के दौरान महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों, तत्समय आवागमन बाधित होने एवं प्रस्तावित क्षेत्र के प्रभाग की सीमावर्ती/दुर्गम होने का लाभ लेते हुये उक्त मोटर मार्ग का कटिंग कार्य किया गया।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया उक्त कृत्य नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के संज्ञान में आने पर प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध बिना अनुमति मोटर मार्ग कटान हेतु दिनांक 24.04.2023 को भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा–29 के तहत राजिवाद सं0–09 पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। तत्क्रम में दर्ज एच–2 केस एवं दिनांक 29.04.2023 की सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी के फील्ड स्तरीय आख्या के उपरान्त वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज द्वारा अपने पत्रांक

संख्या–582/12–1, दिनांक 04.05.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को नोटिस/पत्र भी दिया गया (संलग्नक–17 राजिवाद की प्रति एवं संलग्नक–18 नोटिस एवं फील्ड आख्या)।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–237/पी0–सिं0ख0–2/भुत्सी, दिनांक 13.02.2024 एवं पुनः अपनी पत्र संख्या– संख्या–1266/पी0–सिं0ख0–2/भुत्सी, दिनांक 06.09.2024 (संलग्नक–19) से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि *"मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के साथ ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नही हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा जिओ रैफरेन्स मैप मोटर मार्ग के पूर्व के समरेखण पर लिये गये कार्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुयी है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 के समरेखण के अनुसार ही किया गया है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी है, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में नाप भूमि में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही हुआ है।"*

उक्त तथ्य का अधोहस्ताक्षरी, प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं स्थानीय वन कर्मियों द्वारा प्रश्नगत मार्ग के फील्ड निरीक्षण के दौरान परीक्षण किया गया और पाया कि संयुक्त निरीक्षण के समय लिये गये जी0पी0एस0 प्वाइंट तथा वर्तमान में काटे गये मोटर मार्ग की के0एम0एल0 एक समान है। अतः यह स्पष्ट है कि त्रुटिवश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गलत के0एम0एल0 परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। (संलग्न–20 समरेखण का तुलनात्मक गूगल मानचित्र), तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की सीमा में श्रेणी 9(3)ड़–की कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, अन्तर्गत प्रस्तावित 03 पेड़ मौके पर आज भी खड़े है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि यदि त्रुटिपूर्ण अपलोडेड KML फाईल अनुसार मोटर मार्ग का कटान कार्य किया गया होता तो भारी संख्या में वृक्षों की क्षति होती तथा क्षेत्रफल भी ज्यादा प्रभावित होता, क्योकि यह क्षेत्र सघन वानस्पतिक आवरण से आच्छादित है। इस प्रकार चूंकि कार्य वास्तविक समरेखण पर ही किया गया है, जिससे पेड़ो एवं अनावश्यक क्षेत्र को बचाया गया है। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य वर्ष 2022–23 में पूर्ण कराया गया है। (संलग्न–21 वन संरक्षक निरीक्षण टिप्पणी)।

अतः महोदय, उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग स्तर से प्राप्त तथ्यात्मक आख्या से स्पष्ट होता है कि –

1. नरेन्द्रनगर वन प्रभाग अन्तर्गत प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं था एवं मोटर मार्ग निर्माण हेतु सर्वे, सीमांकन एवं समरेखण का चयन वर्ष 2016 में ही पूर्ण किया जा चुका था।
2. नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु श्रेणी 9(3)ड़– की कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि एवं 10(1) की जलमग्न भूमि एवं 10(4) की रौली भूमि ही प्रस्तावित थी तथा आरक्षित वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं था।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को प्रश्नगत प्रकरण में पेडों के छपान एवं मार्ग के कटान हेतु आतिथि तक किसी भी प्रकार का कार्यादेश अथवा पत्र प्रेषित नहीं किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की सीमा में श्रेणी 9(3)ड़–की कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, एवं 10(1) की जलमग्न भूमि एवं 10(4) की रौली भूमि अन्तर्गत प्रस्तावित 03 पेड़ आज भी मौका स्थल पर खड़े हैं। इसके साथ–साथ यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड स्तरीय प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट अनुसार ही वर्तमान मार्ग का कटान किया गया है। कोई भी अतिरिक्त पेड़ प्रभावित नही हुआ है एवं सघन वानस्पतिक आवरण से आच्छादित क्षेत्र को बचाया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध बिना अनुगति मार्ग कटान के लिए भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा–29 के तहत राजिवाद सं0–09 पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। तत्क्रम में वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या–582/12–1, दिनांक 04.05.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को नोटिस/पत्र भी दिया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि उक्त प्रकरण से वन विभाग के कार्मिको एवं अधिकारियों को मुक्त कराने की कृपा करें, साथ ही विनम्र निवेदन है कि प्रकरण को निस्तारित कराने हेतु उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

19/2024

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनि–की–रेती।

पत्रांकः– 496 /26-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।

19/24

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनि–की–रेती।

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–18008909715(टोल फ्री)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 622 /12–1 दिनांक 07/ 09 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में दिनांक 13.08.2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ0आर0सी0एम0) का कार्यवृत्त के एजेण्डा आईटम नं0–06 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का फाइल संख्या–**IRO-DDN/FRCM/01/2022/654**, दिनांक 22.08.2024 ।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत कार्यवृत्त के एजेण्डा आईटम नं0–06 में उल्लिखित मोटर मार्ग "फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग" के संबंध में मांगी गयी तथ्यपरक आख्या/प्रति–उत्तर निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है –

1. दिनांक 11.03.2016 को सर्वप्रथम प्रयोक्ता अभिकरण/पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण सम्पादित किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.9475 हे0 श्रेणी 9(3)(ड)–कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, 10(1) जलमग्न भूमि एवं 10(4) रौली भूमि जो, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि ही है एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.027 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.3555 है0 समान श्रेणी की भूमि कुल 3.33 है0 को चयनित करते हुये, उप खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की सहमति/रिपोर्ट दी गयी **(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नक–01, 02)**।

2. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1385/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 18.11.2016 से "जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ–क्यारा मोटर के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया **(संलग्नक–03)**।

3. प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ ही प्रश्नगत मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाइल, मानचित्र तैयार कर अपने पत्रांक–1385/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 18.11.2016 से संलग्न कर प्रेषित की गयी थी **(संलग्नक–04)**।

4. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के भाग–01 में आवश्यक प्रविष्ठियां भरने के उपरान्त प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से, इस कार्यालय को अपने पत्रांक–155/पी0–सिं0ख0–2/दिनांक 05.02.2019 से अग्रेत्तर कार्यवाही (परिवेश पोर्टल के भाग–02 की सूचना भरने हेतु) उपलब्ध कराया गया। **(संलग्नक–05)**

5. तद्उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–2465/12–1, दिनांक 11.03.2019 से प्रस्ताव की हार्ड प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी **(संलग्नक–06)**।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0/1520, दिनांक 09.10.2020 **(संलग्नक–07)** से प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन

हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1429/12–1, दिनांक 23.11.2020 से डिमाण्ड नोट प्रयोक्ता अभिकरण प्रेषित किया गया था (संलग्नक–08)।

7. तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड–2, नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–139/पी0–सिं0ख0–2, दिनांक 04.02.2021 (संलग्नक–09) से प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में इस कार्यालय में पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक संख्या–2277/12–1, दिनांक 08.02.2021 (संलग्नक–10) से प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया गया कि आप सर्वप्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये, तत्पश्चात ही आपको प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जानी संभव हो पायेगी तथा पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्रांक–3068/12–1 दिनांक 30.03.2021 (संलग्नक–11) से प्रयोक्ता अभिकरण को भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारक पत्र लिखकर सूचित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि इस कार्यालय द्वारा तत्समय पूर्ण नियमों के पालन करने के संबंध में प्रयोक्ता एंजेसी को सूचित किया जाता रहा है **तथा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से आतिथि तक भी प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु वृक्षों के छपान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नही की गयी है।**

8. जहां तक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह दिसम्बर–2020 में पूर्ण होना बताया गया है के संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु मसूरी वन प्रभाग के क्षेत्र के सिल्ला ब्लॉक कक्ष संख्या–06 में है जिसका क्षेत्रफल 0.027 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.3555 है0 सिविल भूमि है, उक्त भूमि में मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही मसूरी वन प्रभाग द्वारा की जानी थी। नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रारम्भिक बिन्दु नापभूमि जिसका क्षेत्रफल 3.150 है0 प्रस्ताव में दर्शाया है, में कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें **वन विभाग स्तर से अनुमति की आवश्यकता नही थी** तथा मोटर मार्ग में 2.9475 है0 श्रेणी 9(3)ड़–कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि 10(1) जलमग्न भूमि एवं 10(4) रौली भूमि है, जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि है जो वन भूमि नही है **(जिलाधिकारी, टि0ग0 द्वारा श्रेणी सूची संलग्नक–12)** एवं तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच रिपोर्ट **(संलग्नक–13)** में स्पष्ट है कि **"संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्द कोष के अनुसार वन नही है। सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नही है।**

" उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–4452 ऑफ 2019 में दिनांक 24.10.2019 में पारित अन्तिम निर्णय के पैरा संख्या–14 में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि **The observation in the report dated 07-01-2019 is to the effect that the land in Khasra No. 605 was not considered as deemed forest by the Forest Department in the report filed in Godavarman's case. There is no evidence of blasting operations. There is also no sign of any fresh felling of trees and finally it was concluded that the land in Khasra No. 605 cannot qualify as deemed forest. There is a reference in the report to the Judgment of this Court in Godavarman's case wherein it was held that the Forest Conservation Act would be applicable to all lands recorded as forest in the revenue records. The provision of the Forest Conservation Act are not applicable to Khasra No. 605. We are in agreement with the findings recorded by the Tribunal of the Forest Conservation Act is not applicable.** उक्त निर्णय अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज बंजर भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होते है। इस प्रकार से प्रश्नगत भूमि वन भूमि से इतर होने के कारण यदि कोई अपेक्षित कार्यवाही होनी है तो वह राजस्व विभाग के स्तर की जानी थी। **(संलग्नक–14)**

9. प्रश्नगत मोटर के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की गणना/पातन के संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–05 में स्पष्ट किया गया है कि **"प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 10 वृक्ष एवं नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती में 03 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभागके सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।"** उक्त शर्त की अनुपालन अनुसार इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रश्नगत मोटर में मात्र

03 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज द्वारा अपने पत्रांक–158/12–1, दिनांक 03.09.2024 से अवगत कराया गया है कि उक्त 03 वृक्षों का पातन आतिथि तक नही हुआ है जो वर्तमान में मौका स्थल पर स्थित है, (प्रमाण पत्र व वृक्षों की फोटोग्राफ्स संलग्नक–15 व 16)। ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्तमान समरेखण का कटिंग कार्य वृक्षों को बचाते हुए किया गया है। जिस कारण वर्तमान में समरेखण में ही वृक्ष विद्यमान है।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण माह दिसम्बर 2020 में पूर्ण होना बताया गया है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त प्रश्नगत मोटर मार्ग के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को प्रभागीय कार्यालय स्तर से आतिथि तक प्रारम्भिक कार्य की अनुमति प्रदान नही की गयी और ना ही भारत सरकार (MoEFCC) से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हुयी है। प्रकरण के परीक्षण करने पर संज्ञान में आया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोरोनाकाल की अवधि माह– मार्च 2020 से प्रथम चरण एवं माह अप्रैल 2021 से द्वितीय चरण के दौरान महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों, तत्समय आवागमन बाधित होने एवं प्रस्तावित क्षेत्र के प्रभाग की सीमावर्ती/दुर्गम होने का लाभ लेते हुये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु मार्ग कटिंग कार्य किया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया उक्त कृत्य नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के संज्ञान में आने पर वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या–582/12–1, दिनांक 04.05.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को नोटिस/पत्र दिया गया एवं उनके विरूद्ध भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा–29 के तहत राजिवाद पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है। (नोटिस/राजिवाद की प्रति–17) एवं फील्ड आख्या।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुमोदित के0एम0एल0 फाईल के इतर किये गये मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–237/पी0–सिं0ख0–2/भुत्सी, दिनांक 13.02.2024 एवं पुनः अपनी पत्र संख्या–संख्या–1266/पी0–सिं0ख0–2/भुत्सी, दिनांक 06.09.2024 (संलग्नक–18) से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि "मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन करने के साथ ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है, अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नही हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा जिओ रैफरेन्स मैप मोटर मार्ग के पूर्व के समरेखण पर लिये गये कार्डिनेट के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी व समयाभाव के कारण वन भूमि प्रस्ताव के लिये तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुयी है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 के समरेखण के अनुसार ही किया गया है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी है, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में नाप भूमि में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही हुआ है।"

उक्त तथ्य को अधोहस्ताक्षरी एवं स्थानीय वन कर्मियों द्वारा भी परीक्षण किया गया और पाया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये जी0पी0एस0 प्वाइंट तथा वर्तमान में काटे गये मोटर मार्ग की के0एम0एल0 एक समान है। अतः यह स्पष्ट है कि त्रुटिवश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गलत के0एम0एल0 अपलोड कर दिया गया है। **(गूगल मानचित्र संलग्न–19)।**

यदि त्रुटिपूर्ण अपलोडेड KML फाईल अनुसार मोटर मार्ग का कटान कार्य किया गया होता तो भारी संख्या में वृक्षों की क्षति होती तथा क्षेत्रफल भी ज्यादा प्रभावित होता।

अतः महोदय, उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग स्तर से प्राप्त तथ्यात्मक आख्या से स्पष्ट होता है कि प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को प्रश्नगत प्रकरण में पेडों के छपान एवं मार्ग के कटान हेतु आतिथि तक किसी भी प्रकार का कार्यादेश अथवा पत्र प्रेषित नही किया गया है तथा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्ष (03) वर्तमान में भी मौका स्थल पर खड़े हैं। इसके साथ–साथ यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड स्तरीय प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट अनुसार ही वर्तमान मार्ग का कटान किया गया है तथा कोई भी अतिरिक्त पेड़ प्रभावित नही हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को प्रश्नगत प्रकरण में पेडों के छपान एवं मार्ग के कटान हेतु आतिथि तक किसी भी प्रकार का कार्यादेश अथवा पत्र प्रेषित नही किया गया है तथा

प्रकरण में प्रस्तावित वृक्ष (03) वर्तमान में भी मौका स्थल पर खड़े हैं। इसके साथ–साथ यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त स्तरीय प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट अनुसार ही वर्तमान मार्ग का कटान किया गया है तथा कोई भी अतिरिक्त पेड़ प्रभावित नही हुआ है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि–की–रेती,

संख्याः– 622 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. श्री धर्म सिंह मीणा, तत्कालीन डी0एफ0ओ0।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
द्वरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ०आर०सी०एम०) का कार्यवृत्त

MINUTES OF THE FORTNIGHTLY REGIONAL COORDINATION MEETING (FRCM) OF REGIONAL OFFICE, MoEF&CC, DEHRADUN HELD ON 13th AUGUST, 2024

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (FRCM) दिनांक 13 अगस्त, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे श्री संतोष तिवारी, भा०व०से०, उप वन महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून के बैठक कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे-

Sl.No.	Name	Designation
01	Shri Santosh Tewari, IFS	Deputy Director General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
02	Shri Ranjan Kumar Mishra, IFS	PCCF-cum-Nodal Officer (FCA), Govt. of Uttarakhand
03	Smt. Neelima Shah, IFS	Assistant Inspector General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
04	Shri Hare Ram Kumar	Technical Officer (F), Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
05	DFO, Tarai East forest Division, Haldwani	
06	DFO, Bageshwar Forest Division (through VC)	
07	DFO, Mussoorie Forest Division	

08	DFO, Narendranagar Forest Division, Munikireti
09	Representatives of the Nodal Office (FCA), Govt. of Uttarakhand
10	Representatives of the User Agency *viz.* Land Ports authority of India, NHAI, PWD, PMGSY and Peyjal Nigam.

At the outset, Mrs. Neelima Shah, AIGF, welcomed all participants in the meeting and further forest diversion related matters/ proposals as desired/ proposed by the State Government/ Project Proponents were discussed in the meeting:

Agenda Item No. 01:

Diversion of 34.00 ha of Forest Land for construction of Integrated Check Post, Banbasa in favour of Land Ports Authority of India (LPAI), within the jurisdiction of Tarai East Forest Division, Haldwani, District Champawat, Uttarakhand (Online no. FP/UK/DEF/ 404785/2022).

The proposal was discussed with the Project Director, LPAI and the concerned DFO. The KML file of the proposal was seen in detail and it was informed by the project proponent that this project is a kind of mirror check post (proposed in Banbasa, Uttarakhand) to the Check post proposed at Dodhara Chandnin Nepal. Further, the User Agency emphasized that the construction of proposed integrated check post (as per the international norms) would be beneficial as both the integrated check post will be adjacent to each other and also it would be beneficiary in terms of security points of view.

The project proponent apprised that outset of the proposed integrated check post, it is expected that around 300-400 trucks movement would be there on daily basis in the area. It was also stated by the project proponent that the proposed integrated check post will be connected with the NH-109 which is right now under construction. The said NH-109 also have a provision of overpass for elephant corridor which is also under construction.

During the meeting, the KML file of proposed diversion area was seen and it was observed by this office that a water body is falling within the diversion area and the DFO, Tarai East Forest Division submitted that this water body is a seasonal water stream. Further, a river passing adjacent to the proposed area was also noticed. It was also pointed out that the proposed diversion area could be the flood zone of the river. In this context, the DFO concerned submitted that during the monsoon season, the water level of said river

reaches the proposed diversion area. It was also observed that the remaining area between the proposed diversion area and river is prone to encroachment. In the meeting the Nodal Officer (FCA) asked to reduce the proposed diversion area as the same appears on higher side. Further, Nodal Officer also pointed out that it would be a challenging task for State Govt. to identify the 68.00 ha area (Civil Soyam land) CA area against the proposed diversion area. The project proponent informed that this area is bare minimum for the requirement of the proposed project.

After detailed discussion, it was decided that the document/ clarification/ information on following point(s) may be sought from the State Government:

1. The CA is required to be proposed over the non-forest land as per the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023.
2. The project proponent should workout on the proposed layout plan and ensure that only operational components to be proposed in forest area. Further for the residential and the ancillary component, user agency may identify the land over non forest area.
3. NOC from the Irrigation Department for the water bodies falling within and near the area proposed for diversion shall be submitted.
4. The DFO shall visit the area and submit detailed tree enumeration list after reducing the area.
5. The project proponent shall submit a fresh administrative approval of the required area.

Agenda Item No. 02:

Diversion of 22.112 ha of forest land for upgradation of existing road to 2 lane configuration of Rameswer-Gangolighat Berinag Chaukori Kanda Bageswer Takula Almora section of NH-309A from km 133.00 to km170.00(Length 37.00KM) in favour of PWD Ranikhet, within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division, District Bageshwar, Uttarakhand (Online No. FP/UK/ROAD/151113/2022).

The proposal was discussed with the User Agency and the concerned DFO. It was noted that the Stage-I approval has already been accorded in the proposal vide letter dt. 06.07.2023. After Stage-I approval, the State Government submitted that 1.521 ha of the proposed diversion area falls in Binsar Wildlife Sanctuary and accordingly conditions were not imposed in Stage-I approval. After examination of the proposal, the Regional Office observed that while submitting the proposal for Stage-I approval, the State Govt. had not mentioned anywhere in the proposal that the proposed diversion area falls in

Binsar Wildlife Sanctuary. Now, the State Forest Department is requesting to revised the in-principle approval / addendum with conditions as per Binsar Wildlife Sanctuary and additional NPV and other charges are applicable.

After detailed discussion, it was decided that the State Government shall submit the wildlife clearance issued in the proposal after which the proposal will be placed before the REC for further decision in the proposal.

Agenda Item No. 03:

Diversion of 20.0849 ha of forest Land for development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttar in favour of NHAI, within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, Dehradun District of Uttarakhand (Online No. FP/UK/ROAD/ 140350/2021).

The proposal was discussed with the concerned user agency. It was apprised that this office issued EDS vide letter dt. 03.04.2024 with condition that the user agency shall submit CA area over non-forest land as per Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023. The user agency submitted that they are looking for the non-forest land for CA purpose and once it is identified, it will be submitted.

After detailed discussion, it was decided that CA over the non-forest land may be sought from the State Government.

Agenda Item No. 04:

Diversion of 19.8345 ha of forest Land for Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in favour of NHAI, within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, District Dehradun, Uttarakhand (Online No. FP/UK/ROAD/146663/2021).

The proposal was discussed with the concerned user agency and DFO, Narendranagar Forest Division. It was apprised that this office raised EDS vide letter dt. 05.03.2024 with conditions 5 points and out of these one point was for selecting CA over non-forest land as per Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023. The user agency submitted that the non-forest land for CA purpose has been identified and the same will be submitted.

After detailed discussion, it was decided that the State Government shall submit reply to this office EDS letter dt. 05.03.2024. Further, the DFO shall submit the suitability certificate of the selected CA area.

Agenda Item No. 05:

Diversion of 0.542 ha of forest Land for construction of Thati Dagar Raitasi Motor road in favour of PWD, within the jurisdiction of Narendranagar Forest Division, Munikireti District Tehri Garhwal, Uttarakhand (Online No. FP/UK/ROAD/154901/2022).

The proposal was discussed in detail with the concerned DFO. The KML file of the proposal was seen in the meeting and an existing footpath was seen. It was apprised by the DFO that currently this footpath is being used by the villagers and cannot not be strengthen into a motorable road as the slope is very high and comes under flood zone of river. In addition, the DFO also informed that the proposed area is best suitable for the proposed road.

After detailed discussion, it was decided to accord in-principle approval in the proposal.

Agenda Item No. 06:

Diversion of 3.33 ha of forest land for Fuleth-Kyara Motor Road Km 5.00 (Bhagdwari Khal) to Bhutsi Link Motor Road in favour of URRDA, within the jurisdiction of Mussoorie Forest Division in District Dehradun and Narendranagar Forest Division, Munikireti in District Tehri Garhwal in Uttarakhand State (Online No. FP/UK/ROAD/34354/2018).

The proposal was discussed in the meeting with the DFO, Narendranagar Forest Division and the concerned Project Proponent. It was noted that the in-principle approval has already been accorded in the proposal vide letter dt. 09.10.2020. With respect to the above discussed proposal, State Forest department has submitted compliance report of Stage-I approval on 19.07.2024 and requested to grant the Stage-II approval.

The KML file of the proposed road was seen in the meeting in detail and it was observed that there is deviation in the alignment of road and it is not as per the approved KML file, which may attracts the provisions of violation as per the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023. Further, the Google Earth and Bhuvan portal timeline

was checked and it was found that the road cutting work had been done in the month of Dec 2020. It was intimated that the, then DFO concerned was Sh. Dharm Singh Meena, IFS holding the charge of Narendranagar Forest Division.

The project proponent informed that the road construction had been done as per the approved alignment only whereas while submitting the proposal online in the year 2018, due to the lack of knowledge of creation of KML file, an incorrect KML file had been uploaded at that time.

After detailed discussion, it was decided that the document/ clarification/ information on following point(s) may be sought from the State Government:

1. The then DFO, Narendranagar Forest Division (year 2020-21) Sh. Dharm Singh Meena, IFS shall submit proper justification with tree enumeration for deviation in road cutting instead of approved KML file. If any violation is there, then why action should not be initiated against the then DFO concerned under Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023.
2. The User Agency shall submit the proper justification for deviation in road cutting instead of approved KML file. If any violation is there, then why action should not be initiated against the User Agency under Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023.
3. The Nodal Officer (FCA) shall also submit their comments for deviation in road cutting instead of approved KML file.

The meeting ended with a vote of thanks.

Signed by Neelima Shah
Date: 22-08-2024 13:07:53

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

फ़ाइल संख्या : IRO-DDN/FRCM/01/2022/654 दिनांक: 22/08/2024

वितरण:

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून ।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सलग्न-01

प्रपत्र–8

परियोजनाका नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 11.3.2016 को सिंचाई खण्ड सिंचाई पी0एम0जी0एस0याई0 नईटिहरी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जगदम्बा प्रसाद वडोनी ,वन दरोगा श्री मनीष सुयाल,वन रक्षक एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री माधवा नन्द उनियाल, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मानसिह विष्ट सहायक अभियन्ता श्री आदर्श कनिष्ट अभियन्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3500 (मी0) नाप भूमि.से, 3275 (मी0) सिविल भूमि से, 0000 (मी0) वन पंचायत से . 0000 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 3.150 है0 नाप भूमि 2.9475 है0 सिविल भूमि 0.000 है0 वन पंचायत 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.9475 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 41 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे । ग्रामीणो के अत्याधिक विवाद के कारण दूसरा समरेखण नही किया जा सका ।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 4725 (मी0) नाप भूमि.से, 3275 (मी0) सिविल भूमि से, 0000 (मी0) वन पंचायत से , 0000 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 3.150 है0 नाप भूमि 3.3075 है0 सिविल भूमि 0.000 है0 वन पंचायत 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि. की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.3075 है0 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 60 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. 78° 11' 56.33" E 30° 23' 58.23" N है तथा यह स्थल जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से प्रारम्भ होता है तथा चुने गये समरेखण का अन्तिम स्थल भूत्सी है जिसका GPS मान 78° 13' 26.77" E30° 23' 40.11" N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संल्लग्न हैं।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा ।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. कृषकों की भूमी पर खड्‌ साइड्‌ में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलये का निस्तारण किया जयेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान "78° 11' 56.77'"" E 30° 23' 50.37"" N","78° 11' 57.84"" E 30° 23' 50.58"" N","78° 12' 04.05"" E 30° 23' 55.01"" N","78° 12' 00.86"" E 30° 23' 46.02"" N" "78° 11' 54.64"" E 30° 23' 44.21"" N","78° 12' 00.86"" E 30° 23' 46.02"" N","78° 12' 10.63"" E 30° 23' 40.50"" N" "78° 12' 17.92"" E 30° 23' 39.79"" N","78° 12' 31.78"" E 30° 23' 42.34"" N","78° 12' 42.67"" E 30° 23' 39.71"" N" "78° 12' 45.55"" E 30° 23' 39.24"" N","78° 12' 47.13"" E 30° 23' 36.46"" N","78° 12' 58.92"" E 30° 23' 35.57"" N" "78° 13' 08.26"" E 30° 23' 35.39"" N","78° 13' 19.11"" E 30° 23' 37.24"" N" हैं।

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

प्रपत्र–4 6

परियोजना का नाम :–फुलेथ–पराश मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 (गगदारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 11-3-2016 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री जगदम्बा प्रसाद घरोनी, वन दरोगा, सकलाना रेंज एवं श्री सतीश सुमन, वन रक्षक, सकलाना रेंज, राजस्व विभाग की ओर से श्री माधवानन्द उनियाल उप राजस्व निरीक्षण तथा प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री मानसिंह बिष्ट सहायक अभियन्ता एवं श्री आदर्श कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री उत्तम सिंह रावत अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.9475 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 3.15 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की माप न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित योजना में मात्र .... हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना निहित है। उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि में कुल 4 वृक्ष पातित/प्रभावित होना निहित है।

11/3/2016

सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn.-2
New Tehri

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-2
New Tehri

11/3/16

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

(जगदम्बा प्रसाद घरोनी)
वन विभाग प्रतिनिधि
टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

अधि. अभियन्ता
प्र0 मा0, टिहरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी

फुलेख–लगारा मोटरमार्ग के कि०मी० 5.00 (लगारी खाल) भुल्ली मोटरमार्ग में आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार सूची / गोठ गाँव, रामनगर रेंज

क्र० प्रजाति	व्यास श्रेणी	सं०		क्र०	प्रजाति	व्यास श्रेणी	सं०
नाप खेत			सिविल ग्राम				
1 शीरस	20-30	1		1-	गोठी	30-40	01
2 शीरस	30-40	1		2-	शीरस	20-30	01
3 शीरस	40-50	1		3-	शीरस	30-40	01
4 शीरस	40-50	01					3 वृक्ष
5 शीरस	30-40	01			नाप खेत		
6 शीरस	40-50	01		27	तुन	30-40	01
7 शीरस	30-40	01		28	भीमल	20-30	01
8 हल्दू	20-30	01		[illegible]	मोहल	10-20	01
9 हल्दू	30-40	01		29	शीरस	20-30	01
10 शीरस	20-30	01		30	हल्दू	30-40	01
11 शीरस	30-40	01		31	हल्दू	20-30	01
12 शीरस	40-50	01		32	तुन	20-30	01
13 शीरस	30-40	01			मोहल	10-20	01
14 शीरस	30-40	01		33	शीरस	20-40	01
15 शीरस	20-30	01		34	तुन	30-40	01
16 शीरस	30-40	01		35	हल्दू	20-30	01
17 शीरस	30-40	01		36	मोहल	20-30	01
18 तुन	30-40	01					12 वृक्ष
19 तुन	20-30	01			सिविल भूमि में	03	
20 बकैन	30-40	01			नाप भूमि में	30	
21 भीमल	30-40	01			योग वृक्ष		
22 गोठी	20-30	01					
23 गोठी	30-40	01					
24 तुन	20-30	01					
25 तुन	30-40	01					
26 तुन	30-40	01					
		26 वृक्ष					

वन विभाग — (राजेन्द्र सिंह) रा०व०बीट — वन दरोगा अनिल मुरारी

(जगदम्बा प्रसाद, वड़ोदी) व०व०अ० रामनगर

पी. एम. जी. एस. वाई. — (आदर्श) कनिष्ठ अभियन्ता

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि0मी0 के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 11-3-2016 को सिंचाई खण्ड –।। पी0एम0जी0एस0वाई0 नई टिहरी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद देहरादून के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री धर्मानन्द सकलानी (वन दरोगा) श्री रमेश सिंह नेगी (वन रक्षक) एंव राजस्व विभाग की ओर से श्री श्री नीरज कान्त प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मानसिह बिष्ट सहायक अभियन्ता श्री आदर्श कनिष्ट अभियन्ता तथा स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 350 (मी0) नाप भूमि.से, 395 (मी0) सिविल भूमि से, 000 (मी0) वन पंचायत से , 30 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.3150 है0 नाप भूमि 0.3555 है0 सिविल भूमि 0.000 है0 वन पंचायत 0.0270 है0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.3825 है0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 10 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस वन भूमि हस्तान्तरण के तुलना में जो वैकल्पिक वन भूमि हस्तान्तरण देखे गये उसमें 400 (मी0) नाप भूमि.से, 400 (मी0) सिविल भूमि से, 000 (मी0) वन पंचायत से, 50 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.360 हे0 नाप भूमि 0.360 हे0 सिविल भूमि 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि 0.035 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.395 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 18 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान. **78° 11' 56.33" E 30° 23' 58.23" N** है तथा यह स्थल जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 (भगदवारी खाल) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल भूत्सी है जिसका GPS मान **78° 13' 26.77" E30° 23' 40.11" N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संन्लग्न हैं।

उप जिलाधिकारी(सदर)
देहरादून

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नही होगा ।

इस समरेखण पर निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. कृषकों की भूमी पर खड्ड साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाकर उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जयेगा जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान **"78° 11' 56.77"" E 30° 23' 50.37"" N","78° 11' 57.84"" E 30° 23' 50.58"" N","78° 12' 04.05"" E 30° 23' 55.01"" N","78° 12' 00.86"" E 30° 23' 46.02"" N" "78° 11' 54.64"" E 30° 23' 44.21"" N","78° 12' 00.86"" E 30° 23' 46.02"" N","78° 12' 10.63"" E 30° 23' 40.50"" N" "78° 12' 17.92"" E 30° 23' 39.79"" N","78° 12' 31.78"" E 30° 23' 42.34"" N","78° 12' 42.67"" E 30° 23' 39.71"" N" "78° 12' 45.55"" E 30° 23' 39.24"" N","78° 12' 47.13"" E 30° 23' 36.46"" N","78° 12' 58.92"" E 30° 23' 35.57"" N" "78° 13' 08.26"" E 30° 23' 35.39"" N","78° 13' 19.11"" E 30° 23' 37.24"" N"** हैं।

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
नीरज कान्त
राजस्व उप निरीक्षक
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

जिलाधिकारी
देहरादून

अपत्र--4

परियोजना का नाम :--फुलेथ--बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 11-3-2016 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री हिमानन्द सकलानी वन दरोगा व श्री रमेश सिंह नेगी वार्डर राजस्व विभाग की ओर से श्री नीरज कान्त उप राजस्व निरीक्षण तथा प्रस्ताव विभाग की ओर से श्री मानसिंह बिष्ट सहायक अभियन्ता एवं श्री आदर्श कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री उत्तमसिंह रावत अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0·027 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0·355 हे0, वन पंचायत भूमि 0·00 हे0 एवं नाप भूमि 0·315 हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित भूमि की माग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित योजना में मात्र — हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना निहित है। उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि में कुल 10 वृक्ष बाधित / प्रभावित होना निहित है।

उप जिलाधिकारी(सदर)
देहरादून

(प्रस्तावक अधिकारी)
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

Neeraj Kant
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र........................

वन विभाग प्रतिनिधि हिमानन्द सकलानी
टिहरी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-2
New Tehri

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी, टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

तहसीलदार (सदर)
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

कुलेथा - स्यारा मोटर मार्ग के कि० मी० 5.00 (गलोगारीखाल) मुख्य मोटर मार्ग से आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार सूची

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास	आ० का०	
1	जामुन	20-30	—	सिविल वन
2	कुकाट	20-30	—	"
3	रिंगना	30-40	—	"
4-	काफल	30-40	—	"
5-	काफल	20-30	—	"
6-	हिंगा	20-30	—	"
7	हिंगा	30-40	—	आरक्षित वन केवल 30 मी० पर 50 दून सिल्ला
8 -	काफल	30-40	—	
9	काफल	30-40	—	सिविल वन
10 -	मड़ारा	30-40	—	"

योग कुल 10 वृक्ष

Abd SE

पी० डब्ल्यू डी० हस्ताक्षर

राजस्व विभाग
Neeraj Kant
नीरज कान्त
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र..........................

वन विभाग
धर्मानन्द सकलानी
वन दरोगा
(मसूरी रेन्ज मसूरी)

C/S.
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

अधिशासी अभियंता
मसूरी देहरा
मसूरी लोक निर्माण मसूरी

संलग्न-03,04

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 1385/पी0–सिं0ख0–2/

दिनांक 18/11/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती,
टिहरी गढ़वाल।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फलेथ–क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार 01 नं0

मानचित्र सहायक
23/11/16

आ0सं0 2466/12-1(2)
दिनांक 23-11-16
ह0आ0व0स0
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 155 /पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 05/02/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/34354/2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, जिसका क्रमांक FP/UK/ROAD/34354/2018 है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की 05 प्रतियाँ (Hard Copy) अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक :– वनभूमि प्रस्ताव 05 नं0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

आर.नं. 45-2/1/1
दिनांक 06/02/2019
द0 आर.ग.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2465 / 12-1 दिनांक 11./03 /2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0–5.00(भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/34354/2018 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 नई टिहरी का पत्रांक–155 /पी0– सिं0ख0–2 दिनांक 05.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/34354/2018 जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0–5.00(भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव की मूल प्रति सहित 05 प्रतियों में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव मूल प्रति सहित आपको 04 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न–04 प्रतियॉं :-

भवदीय

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 2465 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 नई टिहरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

O/C

सलग्न

सरकार
ण. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0 | 1520

सेवा में,

दिनांक: 09/10/2020

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 644/x-4-19/(153)/2019 दिनांक 15.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/34354/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद – टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.66 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम भुत्सी सिविल खसरा नं0 42,134,135,204,205,525 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.33 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 10 trees एवं नरेन्द्रनगर मुनी की रेती में 07 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

7. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

आर.न. 2547/12-1
दिनांक 22/10/2020
ह0 आर.क.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती

(टी० सी० नौटियाल)

संलग्न -08

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: / 12–1 दिनांक 23 / 11/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–02
नई टिहरी।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित पुलेथ क्यारा (मगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/34354/2018

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–1499/पी0–सिं0ख0–2/ दिनांक 19–11–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0सी0/1520 दिनांक 09–10–2020 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नवत् जारी किया जाता है।

1- <u>शर्त संख्या–01</u> के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- <u>शर्त संख्या–02</u> के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

3- <u>शर्त संख्या–03 (क)</u> के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 6.66 हे0 ग्राम–भुत्सी सिविल की खसरा संख्या–42, 134, 135, 204, 205 एवं 525 सिविल सोंयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 22,45,645.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–972/3–5–2(II) दिनांक 21–11–2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020–21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	3.33 X 2 =6.66 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0–	3,37,184.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	6.66 X 3,37,184.00=22,45,645.44 या 22,45,645.00

शर्त संख्या–03 (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाइन पैरा–2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या–03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

4- शर्त संख्या–04 (क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत पडने वाले क्षेत्र के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2.9475 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 19,36,507.50 धनराशि एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि 0.3825 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 2,51,302.50 धनराशि कुल मु0 21,87,810.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.10 Open Forest
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	3.33 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	3.33 हे0 X 6,57,000.00 = 21,87,810.00

शर्त संख्या– 04 (ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5- शर्त संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम मसूरी वन प्रभाग में 10 एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती में 03 वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

6- शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षायरोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

7- शर्त संख्या–07 के अनुपालन में User Agency will infrom to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from date of issue of such permission.

8- शर्त संख्या–08 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- शर्त संख्या–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

10- शर्त संख्या–10 के अनुपालन में यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11- शर्त संख्या–11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12- शर्त संख्या–12 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13- बिन्दु संख्या–13 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

14- बिन्दु संख्या–14 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन राजि अधिकारी सकलाना राजि से तैयार कर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा। तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

15- शर्त संख्या–15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्ति या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

16- शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा इस आशास का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

17- शर्त संख्या–17 के अनुपलान में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18- शर्त संख्या–18 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यवित को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- बिन्दु संख्या–19 के अनुपालना में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परियर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यधाही होगी।

20- बिन्दु संख्या–20 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

21- शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नही की जायेगी।

22- शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

23- बिन्दु संख्या–23 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः–1429 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुयें सभी शर्तो की अनुपालना पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संलग्न-09

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः– 139 /पी0–सिं0ख0–2/

दिनांक– 04/02/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनि–की–रेती।

पत्र प्राप्ति की तिथि 06/02/2021
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम
कार्यालय का नाम–न व प्र मुनि–की–रेती

विषय :– जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ–क्यारा मोटर मार्ग कि0मी0–5.00(भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रारम्भिक कार्य करने की अनुमति के सम्बन्ध में । (आनलाईन प्रस्ताव सख्या–FP/UK/ROAD/34354/2018)

महोदय,

उपरोक्त संन्दर्भित पत्र के द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षैत्रीय कार्यालय के पत्राक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2019/एफ0 सी0/1520 दिनांक 09/10/2020 सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 6.66 है0 ग्राम मौजा भुत्सी अनवरत सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक देय धनराशि एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)की निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है (Paid slip की छायाप्रति संलग्न है)। प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम मौजा, भुत्सी अनवरत सिविल सोयम भूमि कुल क्षेत्रफल 6.66 हे0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामांतरण किये जाने की कार्यवाही जिलाधिकारी कार्यालय, टिहरी गढवाल में गतिमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग पर वृक्षों के छपान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का कृपा करें। जिससे कि मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सके ।

04/02/21

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

संलग्नकः (1) सैद्वान्तिक स्वीकृति एंव Paid slip की छाया प्रति।
(2) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र।
(3) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र मौजा/नक्शा/खसरा

पत्रांकः– /पी0–सिं0ख0–2/ /तददिनांक।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2 नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–2
नई टिहरी

भूमि हस्तान्तरण प्र0
कृ0 आ0 का0 करें।

प्र0 08/03
06/02/2021

(801)

संलग्न -10

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 2277 / 12–1 दिनांक 08 / 02 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–02
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ क्यारा (भगद्वारीखाल) से मुत्सी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 3.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–(FP/UK/ROAD/34354/2018)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–139/पी0–सिं0ख0–2 दिनांक 04–02–2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–03 ख– गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण के पश्चात सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात प्रश्नगत मोटरमार्ग के संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान सम्बन्धी कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

अतः उक्त के क्रम में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक–1429/12–1 दिनांक 23–11–2020 एवं पत्रांक–1745/12–1 दिनांक 26–12–2021 का संज्ञान लेते हुये सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सूचना ससयम उच्च स्तर को अग्रसारित किया जा सकें।

08/02/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– 2277 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

O/C

संलग्न -1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 3068 / 12–1 दिनांक 30 / 03 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0 खण्ड–2
नई टिहरी ।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ–क्यारा (गगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटरमार्ग निर्माण हेतु 03.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–(FP/UK/ROAD/34354/2018)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 298 / पी0–सिं0ख0–02 दिनांक 12–03–2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या गूल में इस आशय से वापस किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्ति स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आपके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में इस कार्यालय के पत्रांक–1429 / 12–1 दिनांक 23–11–2020 में उल्लेखित शर्त संख्या–02 के अनुपालन आख्या पूर्ण नहीं की गयी है।
2. शर्त संख्या–03 क के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षो का वृक्षारोपण किया जायेगा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राजि अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें।
3. शर्त संख्या–03 ख के क्रम में वनीकरण हेतु चयनित ग्राम–भुत्सी की सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करवाते हुये, अमलदरामद, नजरी नक्शा, कब्जें में लेने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के आदेश की प्रति अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करें।
4. शर्त संख्या–03 ग के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल में पूर्व में किसी भी परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही करवाया गया है, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तैयार कर प्रस्तावक विभाग / राजस्व विभाग एवं सम्बन्धित राजि अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करें।
5. शर्त संख्या–08 के अनुपालन में पूर्ण एफ0आर0ए0 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करनें का कष्ट करें।
6. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।
7. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पूर्ण प्रमाण–पत्र अनुपालन आख्या के साथ संलग्न करें प्रस्तुत करनें का कष्ट करें।

अतः उक्त के क्रम में आपकों पुनः सूचित किया जाता है, कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन 04 प्रतियों में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पूर्ण एवं सही आख्या उच्च स्तर को ससयम अग्रसारित किया जा सकें।

30/3/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 3068 / 12–1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी, सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ कि विभाग से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र तैयार कर प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

O/C

जनपद टिहरी गढ़वाल में गैर जमींदारी विनाश खतौनियों में अंकित भूमि के प्रकार(श्रेणियां)

श्रेणी–1	हिस्सेदार ।
श्रेणी–1–क–	खुदकाश्त हिस्सेदार ।
श्रेणी–1–ख–	भूमि जो गिरवीदार, ठेकेदारों के कब्जे में हो ।
श्रेणी–2	पक्के खायकर ।
श्रेणी–3	कच्चे खायकर ।
श्रेणी–4	भूमि जो सिरतानों के अधिकार में हो–राजकीय संक्रमणीय पट्टेदार ।
श्रेणी–5	भूमि जो कानिजों के अधिकार में हो ।
श्रेणी–6	भूमि जिसमें हिस्सेदारों के बागात हों ।
श्रेणी–7	भूमि जिसमें अन्य लोगों के बागात हों ।
श्रेणी–8	भूमि जो गैर दाखिलकार काश्तकारों के अधिकार में हो ।
श्रेणी–9	कृषि योग्य भूमि ।
9–(1)	नई परती।
9–(2)	पुरानी परती।
9–(3)	कृषि योग्य बंजर ।
9–(3)–क–	ऐसे वन जिनमें वर्गीकरण या प्रशासन किसी वन सम्बन्धी विधान के अधीन वन के रूप में कर दिया गया हो ।
9–(3)–ख–	अन्य वन
1–	जिसमें इमारती लकड़ी के पेड़ हों ।
2–	जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के समूह व लम्बी घास इत्यादि हो ।
9–(3)–ग–	स्थाई पशुचर की भूमि व चराई की अन्य भूमि ।
9–(3)–घ–	छप्पर छाने की घास व बाँस की कोठियाँ ।
9–(3)–ङ–	कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि ।
श्रेणी–10	अकृषित भूमि ।
10–(1)	जलमग्न भूमि ।
10–(2)	स्थल, सड़क, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषिक उपयोग के काम में लाई जाती हैं ।
10–(3)	कब्रस्तान या शमशान घाट।
10–(4)	अन्य कारणों से अकृषित भूमि ।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल ।

जिला स्तरीय समिति को सिविल भूमि हस्तान्तरण हेतु तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जॉच रिर्पोट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेथ–क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भुत्सी मोटर मार्ग (लं0– 0.775 +6.775 = 7.550 किमी0) के नव निर्माण हेतु तहसील–धनौल्टी, जिला–टिहरी गढवाल की तहसील स्तरीय संयुक्त जांच रिर्पोट–

फुलेथ–क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भुत्सी मोटर मार्ग (लं0– 0.775 + 6.775 = 7.550 किमी0) के नव निर्माण हेतु तहसील–धनौल्टी में उत्तराखण्ड सरकार की निम्नानुसार कुल–2.9475 2.9475 है0 सिविल सोयम भूमि को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून के नाम हस्तान्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

क्रम सं0	तहसील	ग्राम	मौजा	खाता नम्बर	खसरा नम्बर	भूमि का प्रकार (किस्म)	कुल रकबा (है0 में)	अर्जित रकबा (है0 में)
1.	धनौल्टी		रवाली	5	1	10 (i) जलमग्न उत्तराखण्ड सरकार	0.3670	0.0120
				4	2	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग–9(3)ग बंजर भूमि	0.2810	0.0120
				4	93		0.8770	0.0100
				4	444		0.4240	0.0450
						योग	**1.949**	**0.079**
2.	धनौल्टी		जमठियाल गांव	8	76	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग–9(3)ग बंजर भूमि	0.0160	0.0060
				8	80		0.0200	0.0060
				8	90		0.1000	0.0030
				8	99		0.0750	0.0220
				8	103		0.0630	0.0200
				8	112		0.3160	0.0500
				8	164		0.1730	0.0200
				8	177		0.0260	0.0220
				8	184		0.1450	0.0050
				8	195		0.0210	0.0050
				8	322		0.0460	0.0100
				8	378		0.3560	0.0380
				8	422		0.4460	0.0350
				8	425		0.4650	0.0510
				8	458		0.0280	0.0100
				8	464		0.7250	0.0850
				8	476		3.5800	0.2100
				8	936		3.3770	0.1350
				11	423	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग–10(iv) सौली	0.1180	0.0120
						योग	10.0950	0.7470

3	धनौल्टी		भुत्ती	7	42		1.3790	0.1120
				7	131		1.1010	0.0580
				7	135		2.3570	0.1800
				7	204		0.1560	0.0450
				7	475		0.0110	0.0110
				7	490		0.0610	0.0300
				7	503		0.0060	0.0060
				7	505		0.0090	0.0090
				7	514		0.0250	0.0250
				7	779		0.0510	0.0090
				7	815		1.2920	0.3000
				7	1377	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9(3)ग बंजर भूमि	0.3170	0.1500
				7	1611		1.4190	0.1500
				7	1615		0.1150	0.0500
				7	1627		0.3040	0.0200
				7	1641		0.2230	0.1350
				7	1692		0.1030	0.0500
				7	1700		1.6600	0.180
				7	1721		0.9500	0.0500
				7	1800		0.1480	0.0300
				7	1809		1.3020	0.0900
				7	1846		3.6960	0.0525
				7	1952		0.5850	0.2200
				7	1964		5.8800	0.0500
						योग	23.1540	2.1215
						कुल योग	35.1990	2.9475

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि की अधिसूचना संख्या – 866/X–3–2011/8 (21)/2010 दिनांक–28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या– 883/X–3–2011/8 (21)/2010, दिनांक–04.10.2011 तथा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–2882/XVIII (11) II–18 (120)/3–2010, दिनांक–11.11.2011 के आलोक में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून को आवंटित किये जाने हेतु तहसील स्तरीय समिति द्वारा आज दिनांक–11.03.2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित भूमि शब्द कोष के अनुसार वन नहीं हैं। सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज नहीं हैं। यह भूमि उत्तराखण्ड के जिला टिहरी गढवाल की तहसील–धनौल्टी में उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि में बंजर दर्ज हैं। शासनादेश संख्या– 2882/XVIII (11) II–18 (120)/3–2010, दिनांक–11.11.2011 के अनुसार इस भूमि पर वन अधिनियम लागू नही हैं। प्रस्तावित परियोजना फुलेथ–दयारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भुत्ती मोटर मार्ग (लं0– 0.775 +6.775 = 7.550 किमी0) का नव निर्माण जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

अतः तहसील धनौल्टी की तहसील स्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति उक्त प्रस्तावित कुल– 2.9475 है0 सिविल सोयम भूमि को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून को मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरण/ नामान्तरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति को संस्तुति सहित प्रस्तावित करती हैं।

प्रस्तावक विभाग

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी
धनौल्टी
टिहरी गढवाल

संलग्नक -14

Non-Reportable

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil Appeal No.4452 of 2019

Chandra Prakash Budakoti

.... Appellant(s)

Versus

Union of India & Ors.

.... Respondent (s)

JUDGMENT

L. NAGESWARA RAO, J.

1. This appeal is directed against the judgment dated 05.04.2019 passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter, 'the Tribunal') in Original Application No.626 of 2016.

2. The Appellant who is a Journalist and Editor of Jan Lok Kesari which is a Hindi Newspaper having circulation in Uttarakhand, filed the application in public interest as he was concerned about the environmental damage caused by Respondent No.4 to 8. He alleged in the O.A. before the Tribunal that there was a large-scale felling of trees in private forests located at Patti Dhamnsu, Narendranagar,

District Tehri Garhwal in Khasra No.512 and 514. The Appellant also complained of blasting activities being resorted to by Respondent No.4 to 8 in the fragile Himalayan region. The Appellant averred in the O.A. that no action was taken by the District authorities to whom he complained about the violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 (hereinafter, 'the Act'). He also referred to Khasra No.605 in which there were fully grown trees which were being felled. On the basis of the above allegations, the Appellant sought a direction to the State of Uttarakhand and the Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand to stop the tree felling and usage of forest land for non-forest purposes in Khasra No.512, 514 and 605 in Narendranagar District, Tehri Garwal. He further sought a direction to Respondent No.4 to 8 therein to stop construction. Later, the Appellant impleaded Respondents 7 to 9 in the O.A. The Tribunal on an application dated 11.04.2017 directed an inspection to be done by the Forest Survey of India. The said inspection was done on 01.05.2017 and a report was filed in the Tribunal which showed progressive degradation of forest cover in Khasra No.605.

3. The State of Uttarakhand filed a counter affidavit before the Tribunal in which it was stated that a Hotel/Villa is being constructed by the Mahananda Spa and Resorts Private Limited, since 2010-2011 in Khasra No.512, 513 and 605. According to the State Government, the land falling in Khasra No.512, 513 and 605 is neither a reserved forest nor a forest in the record of the Forest Department. It was further stated in the said counter affidavit that Khasra No.512 and 513 were recorded as private forests in the revenue record and Khasra No.605 as barren (banjar) land. The State Government further submitted that the project proponent was directed to stop construction in view of the complaints made by the residents of Kumar Khera and Daur to Sub-District Collector, Narendranagar. As certain trees were found to be damaged during the construction, a fine was imposed under Section 4/10 of the U.P. Protection of Trees in Rural and Hills Areas Act, 1976.

4. By an order dated 19.12.2018, the Tribunal directed the Regional office of the Ministry of Environment & Forest at Dehradun to visit the site and submit a status report. A Committee comprising Ms. Komal Preet, Conservator of Forest and Dr. S.C. Katiyar, Scientist E inspected the site on

05.01.2019. During the inspection, the Range Officer Narendranagar forest division and Kanungo from the office of Sub Divisional Magistrate, Narendranagar were also present. The said inspection report dated 17.01.2019 filed before the Tribunal in which the following observations were made:

Observation during site visit:

1. Status of Khasra No.512, 513 and 605 in revenue records and as per site inspection:

Sl. No.	*Khasra No.*	*Ownership as per revenue records*	*Status of construction*	*Vegetation cover*
01	*512*	*Private land*	*Villas constructed*	*Sparse*
02	*513*	*Private land*	*Villas constructed*	*Sparse*
03	*605*	*Private and*	*Partly under villas already constructed and partly under Westin Resort under construction*	*Sparse*

2. As per the revenue records, the ownership of Khasra No.512, 513 and 605 are 'nap' or private land.

3. The revenue records have not been updated since 1938 and the status of land for khasra no.512 and 513 is 'niji van' or private forest while for khasra no.605 is 'banjar' or barren.

4. The land was not considered as deemed forest by the forest department in report filed in the Godavarman case.

5. At present, khasra no.512 and 513 and part of 605 are having independent villas which are devoid of any natural vegetation.

6. Owner of the project denied having any rights in khasra No.514.

7. On a portion of khasra no.605, resort in the name of Westin Resort is being constructed. During the site visit the construction was seen going on at the resort.

8. There is no evidence of blasting and representatives of both the revenue and forest department denied the same. It was also informed that the land is devoid of hard rocks and hence blasting is not required for any construction activity.

9. The construction site adjoins civil land at its back side which was seen having natural vegetation akin to miscellaneous degraded forest having mostly shrubs and few trees.

10. There was no sign of any fresh tree felling at the site. As per the forest department, illegal felling was reported and booked under U.P. Tree Protection in Rural and Hilly Areas Act, 1976 of the state during the year 2011-12 for 34 no. of trees and year 2015-16 for 16 no. of trees (annexure II).

11. The land is already broken and construction going-on over major part of the khasra 605 and adjoining land also

bears only degraded forest land with miscellaneous species, and has also not been marked as deemed forest by the forest department, hence in its present state it does not qualify as deemed forest on the basis of the vegetation on khasra no.605.

12. Since khasra no.605 was recorded as 'banjar' or barren in the year 1938 in revenue records, which have not been updated, hence continue to be reflected as banjar. As per the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman, Forest Conservation Act, 1980 would be applicable to all such lands recorded as forest in revenue records irrespective of the ownership, hence land under khasra no.605 would not attract Forest (Conservation) Act, 1980. (Annexure II)

13. Khasra no.512 and 513 have been recorded as private forest in the revenue records, hence would attract the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 over which construction has already been completed in the form of villas. (Annexure II).

5. After a careful consideration of the report, the Tribunal passed the following order: -

(i) We hold that Khasra No. 512 and 514 are 'Private forest' land, as recorded in the revenue records and Provisions of

Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable. We, therefore, direct the Forest Department and MoEF to initiate proceedings for violation of Forest (Conservation) Act, 1980 in Khasra No. 512 & 513 for non-forestry activities by way of raising constructions, if such constructions had been undertaken without obtaining prior approval of MoEF. It has been stated that there are independent villas in Khasra No. 512 & 513. We also direct the Forest Department to conduct enquiry to find out the persons/officials responsible for the violation, if any and to proceed against them in accordance with law. (ii)The observations of FSI with regard to Khasra No. 605 are not conclusive and cannot be relied upon. The area of Khasra No. 605 in the report submitted by FSI is given as 11 18.02 ha whereas as per Revenue record it is 10.394 ha. We cannot arrive at any conclusion as to which part of the Khasra No. 605 had been degraded as the area of Khasra No. as given in FSI report is significantly more than the area recorded in the revenue records. In the absence of any report on deemed forest filed by the Forest Department, we would go by the site inspection report of the Regional office which is based on the revenue records and the existing character of the land. We, therefore, accept the observations given in the site inspection report of the Regional Office of the MoEF wherein it has been

stated that Khasra No. 605 is non-forest land and Provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will not be applicable.

6. Aggrieved by the judgment of the Tribunal, the Appellant has approached this Court by filing the above appeal.

7. Before we proceed further it is relevant to mention that the direction issued by the Tribunal in respect of Khasra No.512 and 514 has not been challenged by the Respondents. The grievance of the Appellant in respect of Khasra No.512 and 514 is that the authorities have not implemented the directions.

8. The main controversy in the above appeal pertains to Khasra No.605. Mr. P.S. Patwalia learned Senior Counsel appearing for the Appellant submitted that Khasra No.605 is a deemed forest and would fall within the expression of forest, attracting the provisions of the Forest (Conservation) Act. He relied upon a judgment in ***T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India***[1] to submit that the words 'forest' should be understood according to its dictionary meaning. He relied upon Google images from 2007 to 2014

1 (1997) 2 SCC 267

which would show that the area which was densely populated with trees has gradually undergone a change.

9. He submitted that Oak and Kukat trees were cut and construction was commenced by Respondent No.9 i.e. Mahananda Spa and Resorts Pvt. Ltd. without obtaining clearance under the Forest (Conservation) Act. He referred to the reports submitted by the Forest Survey of India and the joint inspection report of the forest authorities in support of his submission that there has been a progressive reduction in the forest area in Khasra No.605. He also placed reliance on the judgements of this Court in ***M.C. Mehta (Kant Enclave matters) v. Union of India***[2] and ***Kerala State Coastal Zone Management Authority v. State of Kerala***[3] to argue that any construction carried out without requisite permissions is liable to be demolished.

10. Mr. C. A. Sundaram, learned Senior Counsel appearing for Respondent No.9 submitted that the land of Respondent No.9 in Khasra No.605/1 is recorded as barren (banjar) land in the revenue records. He referred to the revenue records to contend that the land in Khasra No.605 is neither a forest land nor in the nature of a forest. Initially, according to him,

2 (2018) 18 SCC 397
3 (2019) 7 SCC 248

Mahananda Spa and Resorts Limited was to be constructed in 5702.20 sq. meters for which a sanctioned building plan was granted. According to the notification dated 14.09.2006, environment clearance is required only if the built-up area of a project is more than 20,000 sq. meters. As it was decided to increase the built-up area from 13983.67 sq. meters to 32,791 sq. meter, a fresh building plan was submitted for approval. Mr. Sundaram contended that the entire shareholding of the erstwhile promoters of the Respondent No.9 was sold to Mankind Pharmaceuticals Limited company. Thereafter, Respondent No.9 applied for grant of environment clearance on 01.02.2016 and Consent to Establish from the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board.

11. Mr. Sundaram stated that the State Level Environment Impact Assessment Authority conducted a site inspection on 21.02.2016 pursuant to which the environment clearance was granted on 03.03.2016 permitting construction of the total built-up area of 32,686 sq. meters. He contended that there was no felling of any trees, as alleged by the Appellant. The submission of Mr. Sundaram that the construction taken up by Respondent

No.9 was after obtaining all the necessary sanctions and approvals which were not subject matter of challenge in any forum.

12. The Appellant placed heavy reliance on the report of the Forest Survey of India which conducted an inspection on 01.05.2017. It is no doubt true that it was mentioned in the report that there is a gradual degradation of forest in Khasra No.605. The Committee proceeded with the inspection on the basis that Khasra No.605 is a forest on the ground that all lands with the tree canopy density between 10 % to 40 % shall be treated as open forest. The Committee made no reference to the revenue records. The Committee further proceeded on the ground that the total area of Khasra No.605 is 18.02 hectares to conclude that there is a progressive degradation due to construction of golf courts and other buildings in the area. The Tribunal rightly refused to accept the report of the Forest Survey of India as according to the revenue records, the land in Khasra No.605 is only 10.39 hectares. The Tribunal observed that it is difficult to arrive at a conclusion as to which part of Khasra No.605 has been

degraded as the report of FSI refers to Khasra No.605 to be more than the area recorded in the revenue records.

13. The Appellant filed M.A. No.1672 of 2018 in O.A. 626 of 2016 seeking a direction for a site inspection in view of fact that Respondent No.9 is continuing with the construction in the forest area. By an order dated 19.12.2018, the Tribunal directed the Regional office of Ministry of Environment and Forest, Climate Change, Dehradun to conduct an inspection. After conducting an inspection, a report was submitted on 07.01.2019. The clear findings recorded in the report are that the revenue records show that Khasra No.605 is banjar or barren land. In ***NOIDA Memorial Complex Near Okhla Bird Sanctuary, In Re v.***[4], this Court held that due weight has to be given to revenue records, especially those pertaining to a period when the dispute regarding the land being a forest land did not exist. In the instant case, the revenue records relied upon by the Respondent No.9 are very old when nobody could have imagined about the project.

4 (2011) 1 SCC 744

14. The observation in the report dated 07.01.2019 is to the effect that the land in Khasra No.605 was not considered as a deemed forest by the Forest Department in the report filed in Godavarman's case. There is no evidence of blasting operations. There is also no sign of any fresh felling of trees and finally it was concluded that the land in Khasra No.605 cannot qualify as deemed forest. There is a reference in the report to the judgment of this Court in Godavarman's case wherein it was held that the Forest Conservation Act would be applicable to all lands recorded as forest in the revenue records. The provisions of the Forest Conservation Act are not applicable to Khasra No.605. We are in agreement with the findings recorded by the Tribunal that the land falling in Khasra No.605 is banjar or barren land and the provisions of the Forest Conservation Act is not applicable.

15. In so far as Khasra No.512 and 514 are concerned, the Forest Department, State of Uttarakhand, Ministry of Environment and Forest have been remiss in not initiating the proceedings as directed by the Tribunal. The inquiry as directed by the Tribunal shall be completed within a

period of three months from today and further action be taken immediately thereafter.

16. For the aforementioned reasons, we uphold the judgment of the Tribunal and dismiss the appeal.

.....J
[L. NAGESWARA RAO]

.....J
[HEMANT GUPTA]

New Delhi,
October 24, 2019

संलग्न -15,16

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– 158 / 12 दिनाँक– 03 सितम्बर 2024

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

द्वारा:– उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनिकीरेती, टि0ग0

विषय– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के सिविल क्षेत्र में गणना किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक– 512/12–1 दिनांक–17 मार्च 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सकलाना राजि के **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग** के सिविल क्षेत्र में आने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयक मोटर मार्ग पर सिविल क्षेत्र में 3 (तीन) वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव में संलग्न कर प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। जो वर्तमान में यथा स्थिति मोके पर खड़े है। गणना की गयी वृक्षों का विवरण एवं मौके के फोटोग्राफ निम्नवत प्रेषित है।

1. गेंठी – 30–40 –1 न0
2. शीरस – 20–30 – 1 न0
3. शीरस – 30–40 – 1 न0

<u>**गणना किये गये वृक्षों की यथा स्थिति मौके के फोटोग्राफ**</u>

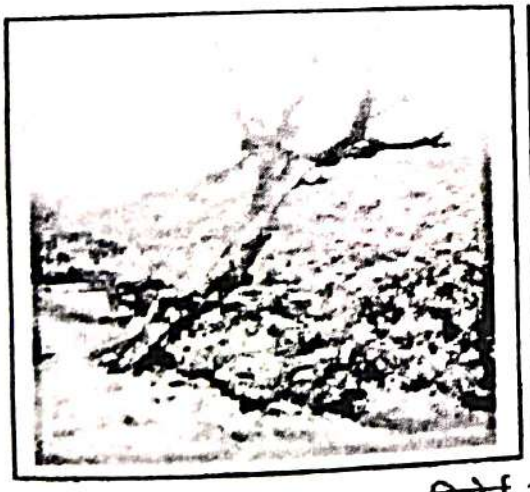

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा (टि0 ग0)

संलग्न– वृक्षों के विभिन्न एंगल से फोटोग्राफ।

फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग में गणना किये गये वृक्षों की यथा स्थिति मौके के फोटोग्राफ

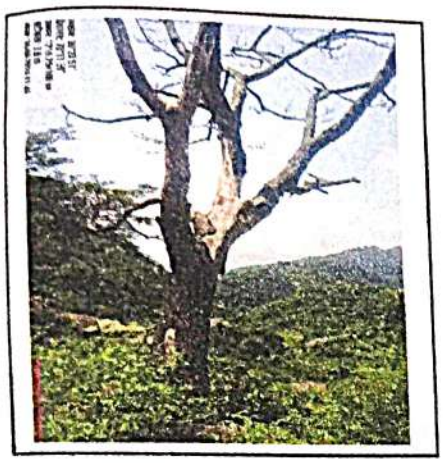

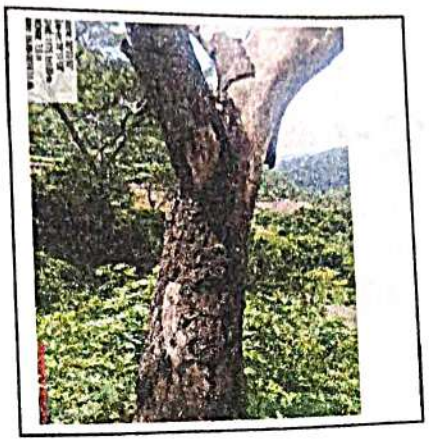

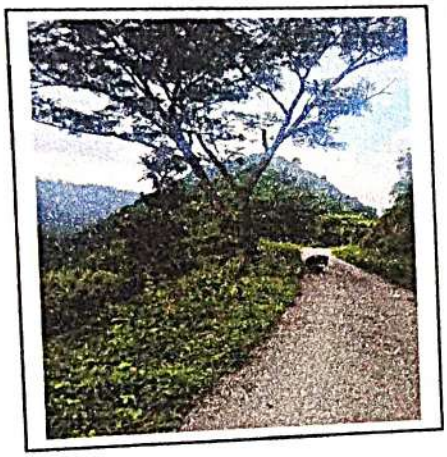

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज
चम्बा (टि0 ग0)

H–2

संलग्न - 17

वन विभाग... भागीरथी ....परिधि (सर्किल) नरेन्द्र नगर वन प्रभाग...खण्ड (डिवीजन)

वन्य अपराध... अवैध कटान ..प्रसूचना (रिपोर्ट)सं. 9.......दिनांक 25/5/2023 अधिक्षेत्र रेंज

१— नाम पिता का नाम और निवास स्थान अधिशासी अभियन्ता PMGSY सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी

२— साक्षी का नाम — स्वयं

३— कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक फुलेथ कफारा मुल्सी मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त बिना विभागीय अनुमति के कार्य प्रारम्भ करते हुए मोटर मार्ग की कटिंग एवं ब्लाक टॉप करना 23/5/2023

४— मूल्य

५— चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन भारतीय वन अधिनियम 1927 उत्तरांचल संशोधन 2001 की धारा 27 का उल्लंघन करना पाया गया

६— प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण, आदि का उल्लेख

महोदय

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ कफारा मगरीभरवाल से मुल्सी मोटर मार्ग में PMGSY टि०गा० द्वारा मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरांत बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किए PMGSY सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी-परियोजना अधिकरण द्वारा मोटर मार्ग की कटिंग एवं ब्लाक टॉप कर दिया गया जो भारतीय वन अधिनियम 1927 उत्तरांचल संशोधन 2001 की धारा 27 का उल्लंघन है. PMGSY को उक्त धारा का दोषी मानते हुए PMGSY टि०गा० में अपराध पत्र जारी करना वाजिब समझता हूँ.

चालानी रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(हीरा सिंह)
(व० वी० अ०)
गोठ/मुल्सी/पुजारगांव-I/
पुजारा-II/मजगांव/लोंग

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– / 12 दिनाँक– 04 मई 2023

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0 जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड–2 टिहरी गढ़वाल।
वन वीट अधिकारी खुरेत

विषय– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीख़ाल) से भुत्सी मोटर मार्ग हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/34354/2018)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत करना है कि आप द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के समरेखण में परिवर्तन किया गया, आप स्पष्ट करें की आपके द्वारा किसकी अनुमति से/किस नियम के तहत मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण परिवर्तित किया गया।

अतः आप **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग** में समरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– 582 / 12 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

कार्यालय– वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना रेंज, चम्बा

पत्रांक– / 12 दिनाँक– 03– सितम्बर 2024

E-mail: saklanarange111@gmail.com

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0 जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड–2 टिहरी गढ़वाल।

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (मगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग हेतु 3.33 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/34354/2018)

सन्दर्भ– इस राजि का पत्रांक–582/12 दिनांक– 04–05–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में विषयक मोटर मार्ग में समरेखण में परिवर्तन के सम्बन्ध में आप/आपके कार्यालय से निम्न रूप से औचित्य पूर्ण प्रति उत्तर की अपेक्षा की गई थी–

आप द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (मगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के समरेखण में परिवर्तन किया गया, आप स्पष्ट करें की आपके द्वारा किसकी अनुमति से/किस नियम के तहत मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण परिवर्तित किया गया। आप जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (मगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग में समरेखण परिवर्तन के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

किन्तु काफी समय व्यतीत होने के पश्चात भी आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र का औचित्य पूर्ण प्रति उत्तर इस कार्यालय को प्रेषित नही किया गया, आपको अंतिम बार पुःन लिखा जा रहा है, कि आप तत्काल औचित्य पूर्ण प्रति उत्तर इस कार्य को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपका यह प्रकरण उच्च स्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

संख्या– 157/12 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर उप प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
सकलाना रेंज, चम्बा

सेवा में वनक्षेत्र अधिकारी महोदय
सकलाना रेंज चम्बा

विषय- जनपद टि.ग० के अन्तर्गत जौनपुर में प्रस्तावित जुलेड स्यारा मार्ग धारी मल्ला से जसली मोटर मार्ग हेतु 3.33 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

-दिन प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर का पत्रांक संख्या-3019/12-1 दि० 27-4/2023 के क्रम में बिन्दुवार प्रति उत्तर

क्र.सं.1- उक्त मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति उपमहानिरीक्षक वन-क्षे० के पत्रांक संख्या-8B-U.C.P.-6/91/2019/F.C./1520 दिनांक-9/10/2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

2- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या खण्ड के पत्रांक संख्या 252/P.O-C.O(ख)0-2/वनभूमि दि० 24/2/2022 के द्वारा प्रेषित की गयी थी

3- मोटरमार्ग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाले संरेखण [illegible] भाग में आरक्षित वनभूमि की लम्बाई शून्य है, वनभूमि नहीं है।

4- संरेखण केवल नाप भूमि एवं सिविल भूमि से होकर गया है

4- वनभूमि से सम्बन्धित प्रकरण मसूरी वन प्रभाग से सम्बन्धित है।

5- कार्यस्थल पर मोटर मार्ग का लगभग 90% कार्य पूर्ण हो गया है।

अतः सूचनार्थ रिपोर्ट सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

[illegible]
वन बीट अधिकारी
[illegible] बीट
20/5/2023

धर्मस्वरूप बिजल्वाण
वन दरोगा
अनुभाग अधिकारी- 20/5/2023

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

संलग्न –18

(Mail ID :- eepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांकः 1266 / पी0–सिं0ख0–2 / भुत्सी

दिनांक–06 / 09 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषयः– हेतु जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर मे प्रस्तावित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग हेतु 3.33 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/34354/2018)

संदर्भः– आपका पत्रांक–595 / 26–1, दिनाक / 09 / 2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की फाईल संख्या– IRO-DDN/FRCM/01/2022/654 दिनांक 22.08.2024 से निर्गत कार्यवृत्त के एजेन्डा आईटम नं0– 06 में उल्लेखित फुलेथ–क्यारा (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या– 02 की आख्या के सम्बन्ध में सूचनीय है कि वनभूमि के अन्तर्गत मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्ताव गठन के साथ ही वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भी यथाशीघ्र अपलोड करना आवश्यक होता है अन्यथा की स्थिति में मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं हो पाती है। तत्समय के0एम0एल0 फाईल तथा Geo-Reference मैप प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण पर लिए गये कोर्डिनेड के आधार पर तैयार किये गये थे। सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी एवं समयाभाव के कारण वनभूमि प्रस्ताव के लिए तैयार किये गये के0एम0एल0 फाईल में त्रुटि परिलक्षित हुई है जिसके कारण के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का ग्रेड पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानको के अनुरूप भी नहीं है। कार्यस्थल पर वृक्षों के छपान / पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है।

वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार के0एम0एल0 फाईल तथा गूगल मैप की फोटो तैयार की गयी हैं, जिसके अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान / कटान व निर्माण कार्य संशोधित गूगल मैप के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उलंघन नहीं हुआ है। पूर्व समरेखण एवं वर्तमान समरेखण की के0एम0एल0 फाईल (सी0डी0) एवं गूगल मैप की फोटो, उक्त दोनों समरेखणों का Land Schedule इस कार्यालय के पत्रांक सं0– 237 / पी0–सिं0ख0–2 / भुत्सी, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप वन प्रभाग मुनिकीरेती को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसकी प्रति आपको भी सूचनार्थ प्रेषित थी (प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर से नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में संशोधित के0एम0एल0 को अपलोड किये जाने की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

पत्रांक / पी0–सिं0ख0–2 / भुत्सी / तददिनांक।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–2
नई टिहरी

अनुलग्नक - 19

Phulet-Kyara-Bhutsi PMGSY Road : Actual Situation

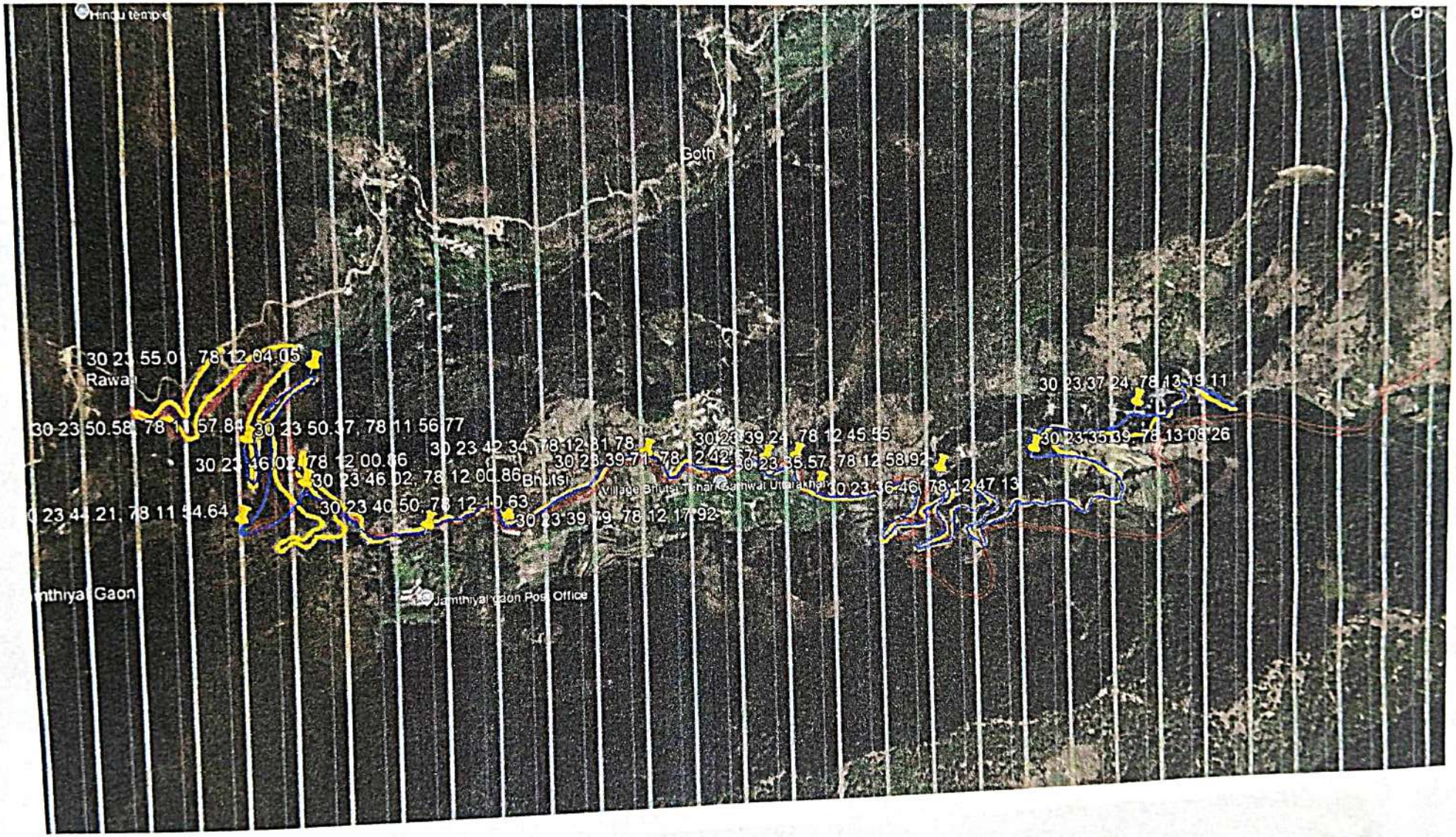

Constructed Road

Wrong KML uploaded with the project

Alignment as per the initial Joint inspection

संलग्न -20

धर्म सिहं मीणा, वन संरक्षक भागीरथी वृत्त द्वारा दिनांक- 17.08.2024 को सकलाना राजि अन्तर्गत फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 05 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग के निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक-17.08.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की सकलाना राजि अन्तर्गत फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 05 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, वन क्षेत्राधिकारी, सकलाना राजि, प्रयोक्ता अभिकरण से श्री एस०के० सिंह, सहायक अभियन्ता, पी०एम०जे०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड-02, नई टिहरी तथा क्षेत्रीय स्टॉफ मौजूद रहे। निरीक्षण के मुख्य विन्दु तथा दिए गए निर्देश निम्नवत् हैं -

1. मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 7.55 कि०मी० प्रस्तावित है जिसमें प्रारम्भिक बिन्दु मसूरी वन प्रभाग में स्थित है जिसकी लम्बाई आरक्षित वन भूमि सिल्ला ब्लॉक कक्ष संख्या-6 में 30 मी०, श्रेणी 9(3)ड़ भूमि में 395 मी०, नाप भूमि में 350 मी०, कुल 775 मी० तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 9(3)ड़ भूमि 3275 मी०, नाप भूमि 3500 मी०, कुल 6775 मी० प्रस्तावित थी।
2. उक्त मोटर मार्ग हेतु नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल 03 वृक्ष पातन हेतु प्रस्तावित थे, जिनका पातन नहीं किया गया है। मोटर मार्ग निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि प्रयोक्त अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित के०एम०एल० फाइल में दर्शाए गए संरेखण से इतर मोटर मार्ग की कटिंग कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्त अभिकरण से पूछे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव गठन के समय तकनीकी दक्षता के आभाव में त्रुटिपूर्ण के०एम०एल० अपलोड की गई जबकि मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव के अनुसार तथा संयुक्त निरीक्षण के दौरान किये गये एवं स्वीकृत संरेखण में ही किया गया है।
3. निरीक्षण के दौरान भी यह परिलक्षित हुआ है कि यदि उक्त के०एम०एल० फाइल में दर्शाए गए संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण किया गया होता तो क्षेत्र में अत्यधिक पेड़ो को क्षति पहुंचती एवं मोटर मार्ग की लम्बाई भी अधिक होती जिससे मोटर मार्ग लाभान्वित गांव तक पहुंच ही नही पाता। परन्तु जिस संरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है उसमें वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, क्योकि इस समरेखण में कोई भी पेड़ अवस्थित नही है, तथा क्षेत्रफल भी कम प्रभावित हुआ हैं। इसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया कि जिस संरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है उस संरेखण का पुनः संयुक्त निरीक्षण करते हुए भूमि की विधिक स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाए।
4. विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा मोटर मार्ग की कटिंग किए जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से पूछे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्त अभिकरण के द्वारा उनके पत्रांक-139/पी0-सिं0ख0-2, दिनांक- 04.02.2021 से उक्त मोटर मार्ग के कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया

था, परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन पूर्ण न होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के द्वारा उनके पत्रांक- 2277/12-1, दिनांक- 08.02.2021 से प्रयोक्ता अभिकरण को अवगत कराया गया कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन होने के पश्चात् ही कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, जिस कारण तत्समय प्रयोक्ता अभिकरण को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, इसकी पुष्टि प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों द्वारा भी की गई। परन्तु प्रयोक्त अभिकरण द्वारा बिना अनुमति के ही उक्त मोटर मार्ग की कटिंग कर दी गई। प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन कर्मियों द्वारा अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य वर्ष 2022-23 में कराया गया है।

5. उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रभाग स्तर से की गई विधिक कार्यवाही के सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

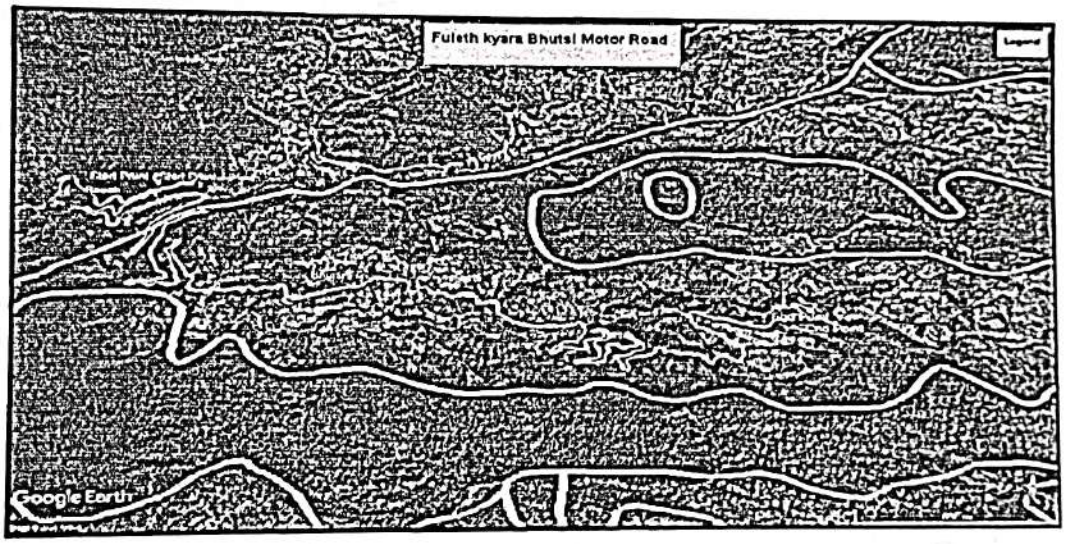

उक्त फोटोग्राफ में नवीन संरेखण पीले रंग से तथा पुराना संरेखण लाल रंग से प्रदर्शित है।

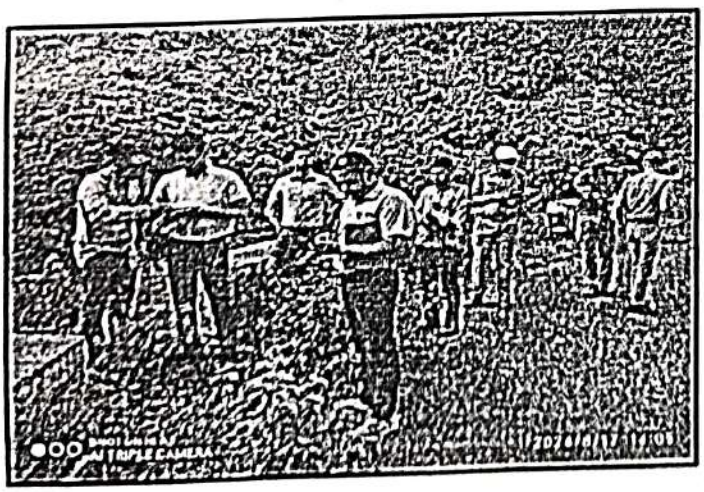

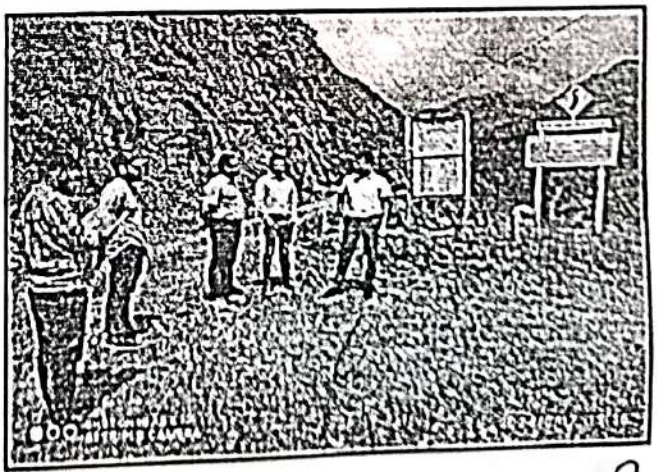

7/8/2024

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in फोन/फैक्स-0135-2431159, उत्तराखण्ड वन्य जीव हेल्पलाईन नं0-18008909715 (टोल फ्री)

पत्रांक – 285 / 20–2, दिनांक, मुनिकीरेती 17/08/2024।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड पौड़ी।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त।

संख्या – 285 / 20–2 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त।